सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 2- जल उपभोक्ता समितियों की स्थिति

विषय 2.3 - जल उपभोक्ता समितियों (जउस) तथा विभाग द्वारा अपनाई गई अनुकरणीय प्रथाएँ

विषय-2.3

जउस तथा विभाग द्वारा अपनाई गई अनुकरणीय प्रथाएँ

मॉड्यूल-2 के विषय :

2.1 देश में जल उपभोक्ता समितियों (जउस) की वर्तमान स्थिति

2.2 जल उपभोक्ता समितियों (जउस) की समस्याएँ, मुद्दे और चुनौतियां

2.3 जउस तथा विभाग द्वारा अपनाई गई अनुकरणीय प्रथाएँ

2.4 जउस की सफलता के प्रमुख कारण तथा उनका भविष्य

1. गुजरात और महाराष्ट्र में सफल डब्ल्यू यू ए की शक्ति के स्रोत

एक सफल डब्ल्यू यू ए को परिभाषित करना जटिल काम है । परन्तु, व्यावहारिक दृष्टिकोण से , एक डब्ल्यू यू ए सफल माना जा सकता हें यदि :

(i) डब्ल्यू यू ए जल शुल्क संग्रहण का प्रतिशत बढ़ाने में सफल रहा है,

(ii) सिंचाई के तहत क्षेत्र बढ़ाने में सफल रहा है,

(iii) नहर के हेड और टेल के बीच पानी के बंटवारे में समानता बढ़ी है

(iv) जल बचत पद्धतियों को बढ़ावा मिला है और

(v) इनपुट प्रबंध और उत्पादन में सुधार के लिए सामूहिक कार्रवाई बढ़ी है

उपरोक्त मानकों के अनुसार, सरकारी सिंचाई योजनाओं पर गुजरात और महाराष्ट्र में सफल डब्ल्यू यू ए के कई उदाहरण हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सामुदायिक प्रयासों और संसाधनों के माध्यम से सिंचाई के लिए नदियों से द्वारा पानी उठाकर कृषक सदस्यों के मध्य वितरित करने का कार्य कई अनौपचारिक जल उपयोगकर्ता संघ काफी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। सार्वजनिक सिंचाई प्रणालियों पर गठित डब्ल्यू यू ए की सफलता कम से कम आरंभिक दौर में सिंचाई विभाग/लाइन एजेंसियों के रवैये और समर्थन पर भारी है। गुजरात और महाराष्ट्र में सफल डब्ल्यू यू ए की मुख्य शक्तियों के साथ-साथ जल संसाधन विभागों /लाइन एजेंसियों द्वारा उनका समर्थन करने के लिए अपनाई गई अच्छी प्रथाओं पर यहां निम्नलिखित पैरा में संक्षेप में चर्चा की गई है ।

(क) गुजरात में* डब्ल्यू यू ए *की शक्ति के स्रोत

i) क्षेत्रफल तथा फसल आधारित सिंचाई शुल्क के स्थान पर सिंचाई जल के लिए प्रति घंटा दरें तय करना,

ii) डब्ल्यू यू ए को सरकार द्वारा निर्धारित जल शुल्क दरों से अधिक दरें निर्धारित करने तथा वसूल करने का अधिकार

iii) जल शुल्क संग्रह के डब्ल्यू यू ए का अंश (30% + निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत संग्रह के लिए अतिरिक्त 20%) अपने पास रखने के बाद शेष राशि सरकार को जमा करना ,

iv) प्रबंध समिति सदस्यों के लिए चुनाव की तुलना में आम सहमति पर जोर,

v) अग्रिम में सिंचाई शुल्क लेना और

vi) वित्तीय रिकॉर्ड और वार्षिक बैलेंस शीट का अच्छा रखरखाव

उपरोक्त कार्य प्रणाली डब्ल्यू यू ए को प्रभावी और उत्तरदायी बनाती है । डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर (डीएससी) नामक एक कुशल गैर सरकारी संगठन की सहायता भी डब्ल्यूयूए के लिए एक परिसंपत्ति है।

(ख) महाराष्ट्र में* डब्ल्यू यू ए *की शक्ति के स्रोत

i) आयतन आधारित माप के आधार पर जल शुल्क निर्धारण और वसूली
ii) नहर के टेल भाग को सिंचाई जल की आपूर्ति के बाद शीर्ष की ओर सिंचाई
iii) डब्ल्यू यू ए के लिए कार्यालय भवन की व्यवस्था ,
iv) ऊपरी स्तर की डब्ल्यू यू ए तथा निचले स्तर की डब्ल्यू यू ए के मध्य बेहतर सहयोग और तालमेल
v) प्रबंध समिति सदस्यों के लिए चुनाव की तुलना में आम सहमति पर जोर,
vi) डब्ल्यू यू ए द्वारा वार्षिक रिपोर्टों, वित्तीय अभिलेखों का पारदर्शी लेखांकन और प्रकाशन

चित्र 1: महाराष्ट्र के ओजार में डब्ल्यू यू ए का कार्यालय भवन

उपरोक्त कार्यप्रणाली के साथ, समाज परिवर्तन केंद्र (एसपीके) नामक एक कुशल गैर सरकारी संगठन की सहायता भी डब्ल्यू यू ए के लिए एक परिसंपत्ति है।

2. डब्ल्यू यू ए की सफलता में जल संसाधन विभाग /लाइन एजेंसियों द्वारा अपनाई गई अच्छी प्रथाओं का योगदान

2.1 *डब्ल्यू यू ए के माध्यम से सिंचाई के पानी की आपूर्ति*

जल संसाधन विभाग , महाराष्ट्र और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, गुजरात ने नीतिगत निर्णय लिया है कि सिंचाई का पानी डब्ल्यू यू ए के माध्यम से ही किसानों को दिया जाएगा।

2.2 आयतन आधार / प्रति सिंचाई आधार पर सिंचाई शुल्क की वसूली

महाराष्ट्र और गुजरात में जल संसाधन विभाग आयतन आधार पर डब्ल्यू यू ए को सिंचाई जल की आपूर्ति करता है और डब्ल्यू यू ए इसे वॉल्यूमेट्रिक / प्रति घंटा आधार पर किसानों को आपूर्ति करता है। आयतन आधारित जलापूर्ति से पानी की बर्बादी रुकतीं है और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करता है । मध्य प्रदेश में सिंचाई शुल्क "प्रति सिंचाई आधार" पर लिया जाता है जो एक तरह से आयतन आधारित जलापूर्ति का ही एक रूप है और किसानों द्वारा जल के किफ़ायती उपयोग को बढ़ावा देता है।

2.3 निर्माण और पुनर्वास कार्य में डब्ल्यू यू ए के साथ परामर्श

महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि एक क्यूमेक से कम जलवहन क्षमता वाली वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य करने के पहले डब्ल्यू यू ए का गठन किया जाना आवश्यक होगा । साथ ही ठेकेदारों द्वारा किए गए पुनर्वास कार्य को संविदा प्रबंधन समिति (कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कमिटी) की देखरेख में कराया जाएगा जिसमें डब्ल्यू यू ए के अध्यक्ष, तथा विशेष रूप से नहर के टेल क्षेत्र के सदस्य , परियोजना के कार्यपालक अभियंता और संबंधित डिवीजनल एकाउंटेंट समिति के

सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। गुजरात पिम अधिनियम के तहत, डब्ल्यू यू ए द्वारा माइनर नहर स्तर तक साधारण मरम्मत कराई जाएगी लेकिन यदि विशेष मरम्मत की आवश्यकता है, तो विभाग डब्ल्यू यू ए के परामर्श से विशेष मरम्मत करेगा ।

2.4 नए कार्यों, रि-मॉडलिंग और पुनर्वास कार्यों को अंजाम देने में डब्ल्यू यू ए को विशेष दर्जा दिया जाना।

गुजरात पिम अधिनियमों में प्रावधान है कि नए कार्यों के निर्माण और मौजूदा कार्यों के रि-मॉडलिंग और पुनर्वास के लिए डब्ल्यू यू ए द्वारा जल संसाधन विभाग के साथ अनुबंध किया जा सकता है। सरकारी नीति के अनुसार डब्ल्यू यू ए द्वारा किए गए कार्य को विभागीय कार्य के समकक्ष माना जाएगा। डब्ल्यू यू ए को कार्य करने हेतु अर्नेस्ट मनी तथा सिक्योरिटी डिपाजिट नहीं जमा करना होगा। डब्ल्यू यू ए द्वारा किए गए कार्य के लिए भुगतान के समय आयकर की कटौती नहीं की जाएगी क्योंकि डब्ल्यू यू ए 'नो-प्रॉफिट' के सिद्धांत पर काम कर रहा है। कार्य की अनुमानित लागत का 2% डब्ल्यू यू ए को आकस्मिक निधि के रूप में दिया जाएगा । विभाग द्वारा 2% तक श्रमिक कल्याण और 10% तक परामर्श लागत का भुगतान डब्ल्यू यू ए को स्वीकार्य होगा बशर्ते कुल खर्च अनुमोदित अनुमानित लागत से अधिक न हो। डब्ल्यूयूए को मरम्मत और पुनर्वास के कार्यों को करने के लिए अनुमानित राशि का 10% अंशदान के रूप में देना होगा । नए कार्यों के मामले में, डब्ल्यू यू ए द्वारा अनुमानित राशि का 5% अंशदान के रूप में देना होगा। विधिवत स्वीकृत कार्य को डब्ल्यू यू ए को सौंपने के समय स्वीकृत अनुमानित राशि का एक तिहाई हिस्सा डब्ल्यू यू ए को ,बिना कुछ बंधक के, देना होगा। सरकार द्वारा डब्ल्यू यू ए को धनराशि जारी करते समय डब्ल्यू यू ए के अंशदान की कटौती की जाएगी।

2.5 डब्ल्यू यू ए के गठन और क्षमता निर्माण में गैर सरकारी संगठनों से सहायता लेना

गुजरात पिम नियमों के तहत अधीक्षण अभियंता और उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा डब्ल्यू यू ए के गठन , स्थापना और उनकी विभिन्न गतिविधियों मे सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठन को लगाया जा सकता है । इसके लिए अधीक्षण अभियंता एक सफल डब्ल्यू यू ए अथवा किसी सक्षम और प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन को ,जो विभिन्न सिंचाई क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम कर रहा है, को नई डब्ल्यू यू ए के गठन , स्थापना और उनकी विभिन्न गतिविधियों मे सहायता के लिए सहजकर्ता (facilitator) अथवा सामुदायिक आयोजक (community organizer) के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। सहजकर्ता या सामुदायिक आयोजक की अनुपलब्धता की दशा में, अधीक्षण अभियंता किसी सक्षम सहायक अभियंता (एई) या अतिरिक्त सहायक अभियंता (एएई), जो डब्ल्यू यू ए को बढ़ावा देने में सक्षम हैं, को इस कार्य हेतु लगा सकते हैं। इस दशा में सरकार द्वारा सहजकर्ता या सामुदायिक आयोजक के लिए निर्धारित भुगतान सहायक अभियंता (एई) या अतिरिक्त सहायक अभियंता (एएई) को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा।

गुजरात (धरोई सिंचाई परियोजना), महाराष्ट्र (वाघाड सिंचाई परियोजना), छत्तीसगढ़ (सी आई डी पी) और उत्तर प्रदेश (यूपीडब्ल्यूएसआरपी-1) में गैर-सरकारी संगठनों को डब्ल्यू यू ए की स्थापना और क्षमता निर्माण में लगाया गया था, जिसके अच्छे परिणाम मिले । यह देखा गया है कि एक गैर सरकारी संगठन द्वारा डब्ल्यू यू ए की क्षमता निर्माण के लिए कम से कम 3-4 वर्षों की निरंतरता आवश्यक है। गैर सरकारी संगठन की अवधि समाप्त होने के बाद डब्ल्यू यू ए की स्थिरता के लिए जल संसाधन विभाग की इच्छा-शक्ति, सहयोग और सहायता आवश्यक है ।